

## सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया गांधीनगर -

कानूनी समझौते कानूनी उपक्रम /, फ्लोर प्लान और पूंजीगत सामान सत्यापन, पंजीकरण के बाद ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया

स्वीकृत एसटीपी कानूनी वचनबद्धता/(एलए) ईएचटीपी इकाई को एसटीपीआई के साथ कानूनी समझौता/एल.यू.टी. निष्पादित करना आवश्यक है। (यह एल्यूटी एलओपी की शर्तों और नियमों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के रूप में अनिवार्य है।

एल्यूटी के निष्पादन के लिए एसटीपीआई के पास दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज:

1. एल्यूटी के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र।
2. एल्यूटी मुद्रित 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर।(न्यायिक पत्र-भारतीय गैर)
3. नियम और शर्तों की स्वीकृति के बारे में पत्र।
4. अग्रिम सेवा शुल्क के भुगतान की रसीद।24000 एसटीपी इकाइयाँ) /- रुपये लागू जीएसटी + 60000 और ईएचटीपी इकाइयाँ/- रुपये (लागू जीएसटी +
5. ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन

अनुमोदन प्रक्रिया:

इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और एल्यूटी के निष्पादन के अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी। विधिवत हस्ताक्षरित मूल एल्यूटी को एसटीपीआई के पास रखा जाएगा और एल्यूटी की प्रति के साथ प्रमाणित फ्लोर प्लान, प्लान्ट और मशीनरी और ग्रीन (आयात और स्वदेशी) कार्ड इकाई को जारी किए जाएंगे।

प्रारूप:

- 1) [एल्यूटी - एसटीपी](#)
- 2) [एल्यूटी - ईएचटीपी](#)
- 3) [नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के लिए पत्र](#)
- 4) [ग्रीन कार्ड आवेदन](#)

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए:

1. हमें GNR.EXIM@stpi.in पर मेल करें
2. 079-66748531, पर संपर्क करें 32